

# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर


(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/मान्यता/एफ-36/2019/2461

दिनांक: 27-09-19

## -:आदेश:-

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक प.28 (3)चिस्वा. /युप-3/2019 दिनांक 26.09.2019 के द्वारा निम्न कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज, बगराना, पोस्ट- कानोता, आगरा रोड़, जयपुर की पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की मान्यता रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 24.07.2019 द्वारा समाप्त किये जाने के विरुद्ध राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2008 के नियम 30 के अन्तर्गत अपील के निर्णय के अनुसार निम्न कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज, बगराना, पोस्ट - कानोता, आगरा रोड़, जयपुर की मान्यता यथावत् बहाल करते हुए Diploma in Medical Lab. Technology, Diploma in Radiation Technology, Diploma in Operation Theatre Technology and Diploma in ECG Technology पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के पूर्वावत संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

  
(सोमदत्ता दीक्षित)  
आर.ए.एस.


रजिस्ट्रार

दिनांक: 27-09-19

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/मान्यता/एफ-36/2019/2461

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. श्रीमान उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (युप-3) विभाग, जयपुर।
5. काउन्सिलिंग/प्रवेश शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त संस्था में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को यथावत् रखा जावे। साथ ही, सत्र 2019-20 के प्रवेश से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।
6. निम्न कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज, बगराना, पोस्ट- कानोता, आगरा रोड़, जयपुर।
7. प्रमारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार